तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5621/2004/हनुमानगढ ब्रजलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1
श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–2 से 4

निर्णय

दिनांक 28.06.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा वाद संख्या–191/1998 में पारित आदेश दिनांक 25–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम भिराना उपनिवेशन तहसील, नोहर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 127 हाल खसरा नम्बर 67 रकबा 76बीघा 15बिस्वा भूमि बाबत् एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 91 व 92 सपठित धारा 125, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पन्नालाल व ब्रजलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण संख्या–2 लगायत 4 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रस्तुत कर वादीगण संख्या–2 से 4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 25–8–2004 से अप्रार्थीगण संख्या–2 से 4 को वादीगण के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी प्रार्थी ब्रजलाल ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नॉन–स्पींकिग है। राज्य सरकार द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5621/2004/हनुमानगढ ब्रजलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	और गैर निगराकार संख्या–2 लगायत 4 ने पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र पेश किया लेकिन वे न तो ग्राम पंचायत के सरपंच है और ना ही उन्हें किसी ने अधिकृत किया बल्कि प्रार्थी निगराकार से रंजिश रखते है इसलिए प्रार्थनापत्र पेश किया। सार्वजनिक हित की भूमि की सरकार पैरवी कर रही है। विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार व अप्रार्थी संख्या–5 का कब्जा काश्त काश्तकारी अधिनियम से पहले से ही चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया था जो स्वीकार होने पर प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की और अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 8–6–1976 का आदेश निरस्त कर दिया। प्रार्थी द्वारा धारा 144सीपीसी का आवेदन पेश किया जिस पर प्रार्थी के कब्जे व मौके की पूर्व स्थिति बहाल रखी गयी है। यदि राजस्व रिकार्ड में कोई गलत इन्द्राज हुआ है तो राज्य सरकार पैरवी कर रही है। गैर निगराकारसंख्या–2 से 4 को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। विधि के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए पक्षकार बनाया है। अतः आदेश अपास्त किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– 1. 1991 आरआरडी पेज 417 2. 1993 आरआरडी पेज 191 3. 2004 आरआरटी (2) पेज 1279 विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 से 4 ने प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया है कि विवादित आराजी प्रारम्भिक राजस्व अभिलेख में जोहड पायतन अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि रही है एवं यह भूमि ग्राम पंचायत, निमला के अधीन आती है, जिसके संरक्षक का समान दायित्व राज्य सरकार की भांति ग्राम पंचायत का भी है तथा ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित पूर्णतः समान है। इसलिए सार्वजनिक उपयेाग की भूमि के रक्षार्थ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण को वादीगण के रूप में मूल वाद में पक्षकार संयोजित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधता नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– 1. 1998 आरबीजे (5) पेज 574 2. 2004 आरबीजे (11) पेज 518 3. 22015 आरबीजे पेज 199 4. 2003 आरबीजे पेज 348 5. 2001 आरबीजे पेज 165	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5621/2004/हनुमानगढ ब्रजलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादपत्र के अवलोकन से प्रकट है कि राज्य सरकार द्वारा निगराकार ब्रजलाल व गैर निगराकार संख्या–5 पन्नालाल के विरूद्ध रिकार्ड में संशोधन कर भूमि को जोहड पायतन दर्ज करने और इस भूमि में प्रतिवादीगण कोई मजाहमद नहीं करे इस बाबत् वाद पेश किया है और इस वाद में ग्रामवासियों की ओर से पक्षकार बनने के लिए गोपालराम सुथार सरपंच, जगमालसिंह और भादर नायक द्वारा पैरवी करने का आवेदन पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित का मानते हुए सरकार के साथ पैरवी करने की अनुमति दी गयी है।

किसी भी प्रकरण में कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है या नहीं, उसका परीक्षण बिन्दू यह है कि क्या उसकी उपस्थिति से वाद का प्रभावपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से निरस्तारण हो सके और क्या उसकी उपस्थिति प्रकरण में आवश्यक है? राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 67 सम्वत् 2029–38 के बीच जोहड पायतन की बताई है और जोहड पायतन की भूमि पर ग्रामवासियों के हित निहित होते है और उसकी सार सम्भाल पंचायत करती है जो कि एक विधि द्वारा स्थापित संस्था है और प्रार्थीगण सरपंच ग्रामवासी की हैसियत से वाद में पक्षकार बनने आये है और सरकार की ओर से पैरवी करने के साथ ही सीमित अधिकारों के साथ वादी पक्षकार बनना चाहते है। ग्रामवासियों के हित के सरंक्षण के लिए सरपंच व गांव के अन्य व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना उचित है जिससे वाद बाहुल्यता नहीं बढे।

प्रार्थी निगराकार की ओर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1991 आरआरडी पेज 417 में वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा था और उसे गैर जरूरी पक्षकार माना था। इस प्रकरण के तथ्य मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतयाः भिन्न है। अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1993 आरआरडी पेज 191 में मण्डल हाजा द्वारा परीक्षण बिन्दू यह बताया गया है कि क्या पक्षकार उचित एवं आवश्यक है और मौजूदा प्रकरण में जोहड पायतन की भूमि होने से ग्रामवासियों और पंचायत के हित निहित है इसलिए वाद में आवश्यक पक्षकार है। तथ्यों की भिन्नता के कारण यह न्यायिक दृष्टान्त भी चस्पा नहीं होता है। अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2004 आरआरटी (2) पेज 1279 में विवाद राज्य सरकार और अतिचारी के बीच का मामला होने से पक्षकार नहीं माना। मौजूदा मामले के तथ्य भिन्न है, यहां मामला अतिचार का नहीं है बल्कि आवंटन निरस्त करने का और कब्जे का मामला है और जोहड की जमीन है तथ्यों की भिन्नता से उक्त न्यायिक दृष्टान्त कोई मदद नहीं करता। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में सार्वजनिक हित की जमीन पर ग्रामवासियों को पक्षकार बनाना उचित माना है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5621/2004/हनुमानगढ ब्रजलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	अधीनस्थ नयायालय के आदेश दिनांक 25-8-2004 में कोई अवैधता अनियमितता नहीं है और आदेश के विरूद्ध निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	